निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—177/18
दायरा दिनांक :—22.10.2018
निर्णय दिनांक :— 29.11.22

.उनवान

मांगी लाल पुत्र श्री लटूर लाल जाति माली निवासी ग्राम हीकड तहसील बारां जिला बारां

—वादीगण

बनाम

1. द्रोपती बाई पुत्री श्री कालू लाल पत्नी श्री चन्द्रमोहन जाति माली निवासी हीकड हाल निवासी मण्डोली तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राकिशन पुत्र श्री कालू लाल जाति माली निवासी ग्राम हीकड तहसील बारां जिला बारां
3. रामलालपुत्र श्री कालू लाल जाति माली निवासी ग्राम हीकड तहसील बारां जिला बारां
4. सत्यनारायणपुत्र श्री कालू लाल जाति माली निवासी ग्राम हीकड तहसील बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0 —प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :— 29.11.22

अभिभाषक उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड0— वादीगण
2. श्री सत्यनारायाण मीणा एड0— प्रतिवादीगण

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किग्राम हिकड पटवार हल्का पाठेडा तहसील बारां में आराजी वर्तमान खाता सं0 210 पुराना 1 की खसरा नं0 129 की रकबा 1.10 हे0 कुल किता 1 [illegible] रकबा 1.10 हे0 बखाता द्रोपती बाई पुत्री कालू लाल हिस्सा 1/8 जाति माली सा0 देह, मांगी लाल [illegible] लटूर लाल हिस्सा 1/2 जाति माली सा0 देह, रामकिशन पुत्र कालू लाल हिस्सा [illegible] माली सा0 देह, रामलाल पुत्र कालू लाल हिस्सा 1/8 जाती माली सा0 देह, सत्यनारायण पुत्र कालू लाल हिस्सा 1/8 जाति माली सा0 देह, के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है [illegible]से वाद पत्र में आगे [illegible] आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

उक्त वर्णित आराजी वर्तमान खाता सं0 210 पुराना 1 की खसरा नं0 129 की रकबा 1.10 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.10 हे0 वाके ग्राम हीकड पटवार हल्का पाठेडा तहसील बारां में वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी कमांक 1 ता 4 का 1/8, 1/8, 1/8, एवं 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण कमांक 1 ता 4 के बीच उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा आज से करीबन 20–25 साल पूर्व हो चुका था तथा उक्त बंटवारे में वादी को आराजियात खसरा नं0 129 रकबा 1.10 हे0 में से पश्चिमी आराजी 1/2 हिस्से के रूप में रकबा 0.55 हे0 प्राप्त हुयी थी तथा शेष पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी कमांक 1 ता 4 को प्राप्त हुआ था। वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 4 अपने हिस्से पर पृथक पृथक रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। तथा अभी वर्तमान में भी वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 4 पृथक पृथक काबिज काश्त है। संयुक्त खाता होने से आराजियात के भू–सुधार में अनावश्यक परेशानी होती है। आराजियात का बंटवारा न होने से हिस्सा निश्चित नहीं है। इस कारण उसमें भू–सुधार नहीं किया जा सकता। आराजियात के सही उपयोग एवं सही काश्त व्यवस्था के लिए अपने हिस्से का भू–सुधार किया जाना, उसमें खाद, बीज, सिंचाई आदि की व्यवस्था किया जाना तथा आधुनिक कृषि किया जाना आवश्यक है। किन्तु संयुक्त खाता रहने से किसी भी पक्षकार द्वारा आराजी को रहन बेचान करने की असुविधा रहती है। तथा खाता वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 4 के शामलाती दर्ज रहने से यह आशंका बनी रहती है। कि कोई भी पक्ष बिना विभाजन के आराजियात को रहन बेचान करके दूसरे पक्ष को परेशानी में डाल सकता है। ऐसी स्थिती में संयुक्त खाता रखा जाना सम्भव नहीं है।

वादी ने प्रतिवादी कमांक 1 ता 4 से खाता पृथक पृथक दर्ज कराने की कहने पर प्रतिवादी कमांक 1 ता 4 द्वारा मना करने पर व वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की आराजियात से बेदखल करने की धमकी देने पर वादी की हकूक टिनेन्सी को खतरा पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में वादी को अपने कानूनी हकूकों से वंचित हो गया है। ऐसी स्थिति में वादी को अपने कानूनी हकूकों से वंचित हो जाने की पूरी पूरी आशंका उत्पन्न हो गई है। साथ ही हिस्से आराजियात की काश्त व्यवस्था, उपयोग उपभोग में भी बाधा पहुंचेगी अतः वादी उक्त आराजी का विभाजन करवाकर 1/2 हिस्सा रकबा 0.55 हे0 पश्चिमी आराजी अलग से निश्चित कराकर उसी अनुसार बंटवारा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। वादी ने दिनांक 01.10.2018 को प्रतिवादी कमांक 1 ता 4 से आपसी सहमति से आराजियात का बंटवारा करने व वादी का हिस्सा अलग करने को कहा तो वे इन्कार हो गये तथा धमकी दी कि वे वादी को उनके हिस्से आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे। उसे रहन बेचान कर मुंतकिल कर देंगे अतः वाद कारण दिनांक 01.10. 2017 को अन्तिम बार वाके ग्राम हीकड तहसील बारां में उत्पन्न हुआ तथा वर्तमान में भी पैदा हो रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ वादी द्वारा अपने पक्ष के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम हीकड सम्वत् 2071–74 खाता सं0 210, पेश की गई। साक्ष्य वादी पेश नहीं किये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हीकड तहसील बारां में स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है वादी अपने हिस्से 1/2 पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी अपने हिस्सा 1/2 का पृथक पृथक विभाजन करा कर अलग खाता दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तो हम प्रतिवादी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक पृथक बंटवारा कर खाता अलग दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हीकड सम्वत् 2071–74 खाता सं0 210 में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 का हिस्सा 1/8, 1/8 दर्ज रिकार्ड है। वादी अपने हिस्सा 1/2 का पृथक –पृथक विभाजन करवाना चाहते है। जिसमें प्रतिवादी कम 1 ता 4 को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाब पेश कर कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया है। मुताबिक रिकार्ड एवं हिस्से अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

<u>कियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हीकड तहसील बारां के खसरा नं0 129 रकबा 1.10 हे0 में वादी एवं प्रतिवादी का हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्रारम्भिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)
प्रारम्भिक डिक्री

वाद संख्या 177/2018	अन्तर्गत 53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 29.11.22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड0	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री सत्यनारायण मीणा एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

मांगी लाल पुत्र श्री लटूर लाल जाति माली निवारी ग्राम हीकड तहसील बारां जिला बारां
–वादीगण

बनाम

1. द्रोपती बाई पुत्री श्री कालू लाल पत्नी श्री चन्द्रमोहन जाति माली निवासी हीकड हाल निवासी मण्डोली तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राकिशन पुत्र श्री कालू लाल जाति माली निवासी ग्राम हीकड तहसील बारां जिला बारां
3. रामलालपुत्र श्री कालू लाल जाति माली निवासी ग्राम हीकड तहसील बारां जिला बारां
4. सत्यनारायणपुत्र श्री कालू लाल जाति माली निवासी ग्राम हीकड तहसील बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हीकड तहसील बारां के खसरा नं0 129 रकबा 1.10 हे0 में वादी एवं प्रतिवादी का हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.11.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

संख्या 177/2018	धारा अन्तर्गत 53, 188 आर0 टी0 एक्ट	निर्णय दिनांक : 28.03.2023
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:–श्री राजेन्द्र कुमार एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री सत्यनारायण मीणा	

वाद शीर्षक

उनवान

मांगीलालपुत्र श्री लटूर लाल जाति माली निवासी ग्राम हीकड तहसील बारां जिला बारां –वादीगण

बनाम

1. द्रोपती बाई पुत्री श्री कालू लाल पत्नी श्री चन्द्रमोहन जाति माली निवासी हीकड हाल मण्डोली तहसील बारां
2. रामकिशन पुत्र श्री कालू लाल जाति माली निवासी हीकड तहसील बारां जिला बारां
3. रामलाल पुत्र श्री कालू लालजाति माली निवासी हीकड तहसील बारां जिला बारां
4. सत्यनारायण पुत्र श्री कालू लाल जाति माली निवासी हीकड तहसील बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–
प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार विवादित आराजी वाके ग्राम हीकड तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:–

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	लगान	दिशा
1. मांगीलाल पुत्र श्री लटूरलाल जाति माली नि0 सा0 देह	129	0.55	15.40	पश्चिम
2. द्रोपती बाई पुत्री श्री कालू लाल जाति माली नि0 सा0 देह हिस्सा 1/4 रहन–BOIबारां, रामकिशन पुत्र कालूलाल जाति माली नि0 सा0 देहरहन–BOIबारां हिस्सा 1/4, रामलाल पुत्र कालूलाल जाति माली नि0 सा0 देहरहन–BOIबारां हिस्सा 1/4, सत्यनारायण पुत्र कालूलाल जाति माली नि0 सा0 देहरहन–BOIबारां हिस्सा 1/4,	129/1	0.55	15.40	पूर्वी

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है।
साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.03.2023 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

(मुद्रा: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बारां)

व्ययानुतोष

क्र.स.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक बारां (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner